न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) बिजनौर।
मूलवाद सं0 13/2020
CNR.NO-UPBJ06-000017-2020
श्रीमती नसरीन आदि **बनाम** मौ0 वाहिद आदि।

दिनांक 05.02.2020

पुकारा गया। पुकार पर पक्षकार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र ग–25 पर सुना गया।

निस्तारण प्रार्थनापत्र ग–25–

उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन से प्रस्तुत वाद वादीगण ने सरासर गलत नाम फरीकैन के नाम से दायर किया तथा वादीगण का पता गलत है वो अगस्त मुनी विजय नगर जिला रूद्रप्रयाग उत्तराखण्ड में रहते हैं। प्रतिवादी सं0 2 का नाम गलत है, इस नाम की कोई महिला प्रतिवादी नं0 1 की पत्नी नही है व प्रतिवादीगण को स्वीकार नही है। फिर भी इन आल्टरनेटिवली वाद हाजा बकौल वादीगण किसी तथाकथित सरासर गलत आराजी के स्थाई निषेधाज्ञा का दायर किया गया, जबकि प्रभावी व प्रोपर दावा बकौल वादीगण बंटवारे का हो सकता है। इसलिए दावा हाजा कानूनन वार्ड है व मूल्याकंन वाद हाजा वादीगण ने अति कम किया बवक्त दावा दायरा प्रश्नगत हवेली पश्चिम सामनी बमय बैठक का मूल्य 6,00,000/–रूपये से कम नही है। इसलिए दावा हाजा वादीगण पोषणीय नही है व उन्हें वापिस होना न्यायोचित है। प्रतिवादी सं0 2 के अस्तित्व में न होने से वादीगण खोला गया काज ऑफ एक्शन उन्हें प्राप्त नही है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा, वादीगण का वाद खण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

वादी की ओर से उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर मौखिक आपत्ति की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र के अंत में वर्णित सम्पत्ति के उसके तथा प्रतिवादीगण के संयुक्त रूप से मालिक तथा काबिज होने के आधार पर विवादित सम्पत्ति को बिना विभाजन किये वादीगण के हिस्से पर निर्माण किये जाने से विरत रहने के लिये स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया है। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि वादनी ने वादपत्र में गलत पता अंकित किया है तथा वादनी अगस्तमुनी, विजय नगर, जिला रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड में निवास करती है। चूंकि प्रतिवादीगण के द्वारा यह तथ्य अस्वीकार नहीं किया कि वादीगण स्व0 शराफत अली की पुत्र वधु तथा पौत्र–पौत्री हैं। स्व0 शराफत अली के द्वारा विवादित सम्पत्ति का बजरिये बैनामा क्रय किये जाने तथा उसकी मृत्यु के बाद वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ विवादित सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होने का कथन किया गया है। अतः अन्यत्र स्थान पर वादीगण का स्थायी निवास होने के आधार पर ही विवादित आराजी में उनका हिस्सा समाप्त नहीं हो सकता। विवादित आराजी पर उनके हिस्से के सम्बन्ध में निर्धारण वाद विचारण ही तय हो सकता है। जहां तक प्रतिवादी संख्या 2 का नाम गलत होने के आधार पर वाद खण्डित किये जाने का प्रश्न है। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वादीगण उपरोक्त प्रतिवादी संख्या 2 का नाम शहाना के नाम से ही मालूम है। यदि कोई नाम कुछ और है तो वह इस सम्बन्ध में उसे जानकारी नहीं है। अतः केवल इस आधार पर यह वाद निरस्त होने योग्य नहीं है। जहां तक मूल्यांकन आदि होने के आधार पर वाद वापस किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अभी प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त मूल्यांकन से सम्बन्धित वाद बिन्दु विरचित होकर निस्तारण के समय यदि विवादित सम्पत्ति का मूल्यांकन न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अधिक पाया जाता है, तो पत्रावली सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्धित आदेश किया जा सकता है। अतः इस आधार पर भी वाद निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र ग–25 निरस्त किया जाता है। पत्रावली सुनवायी/निस्तारण प्रार्थना पत्र ग–6 हेतु दिनांक 10.02.2020 को पेश हो।

नरेन्द्र कुमार (यू0पी0–2312)
सिविल जज (जू0 डि0)
बिजनौर।